**Shri B. S. Murthy:** Are there any more amendments contemplated in the Income-tax Law?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): The question is as stated by the hon. Member. These are being constantly reviewed from time to time and often times, as the hon. Member knows, and as I have mentioned it on the floor of the House. sometimes assessments are delayed by means of writs even in cases which are at the point of settlement. The matter goes to court and a writ is taken and we have to await the decision on that particular matter. Subject to this, whatever can be done to expedite the decision is being done. But the overall question whether any revision is necessary is a matter which is being examined and we will come to some conclusion. When we come to a conclusion in this matter, proposals will, naturally, be put before the House.

Shri Jadhav: May I know the total amount of arrears of income-tax to be recovered up to 31st March, 1957?

Shri T. T. Krishnamachari: Up to 31st March, 1957, I think, the total arrears will be of the order of Rs. 200 crores. But, we expect that by about March 1958, there will be substantial reduction in this.

Mr. Speaker: Next question.

भी भवत बर्शन ः मेरा निवेदन है कि मेरा प्रध्न संख्या १४८४ बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं जरादेी से झावाथा। उसे ले लिया जाए।

Mr. Speaker: The question hour is over.

Shri Bhakt Darshan: I was late by few minutes.

Mr. Speaker: The question hour cannot be extended.

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

## लोहे और इस्पात का आवच्छन

\*१४७०. भी हरिइचन्द्र झर्मा: क्या इस्पात, सान और इंचन मंत्री यह बताने की इपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कन्ट्रोल्ड रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों तथा इस्पात का सामान बनाने वालों की संख्या कितनी है, जिन्हें टीन, लोहे भौर इस्पात का नियंत्रित सामान दिया जाता है ग्रौर वह सामान कितना ग्रौर किस काम के लिये दिया जाता है;

(स) क्या सरकार ने यह जानने के लिये कि दिया जाने वाला सामान नियल काम के लिये ही प्रयोग किया जाता है कभी इस विषय में जांच कराई है; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि कन्ट्रोल्ड रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों झौर इस्पात का सामान बनाने वालों को दिया जाने वाला अधिकाश नियंत्रित सामान चोरी से निकटवर्ती राज्यों को ऊंची दरों पर भेज दिया जाता है?

इस्पात, जान और इंधन मंत्री (सरवार स्वर्श सिंह) : (क) दिल्ली में ७३ कन्ट्रोल्ड भीर रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट और ४७१ इस्पात का सामान बनाने वाले है। कन्ट्रोल्ड, रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों को इस्पात, क्रमशः कोटा सटिफिकेट और परमिट वालों को बांटने के लिए दिया जाता है। इस्पात का सामान बनाने वाले सामान बनाने के सिए इस्पात प्राप्त करते हैं। मप्रैल, १९४६ से जून, १९४६ तक के समय में कन्ट्रोल्ड स्टाकिस्टों को १०,४४४ टन, रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों को १२,२७२ टन, तथा इस्पाल का सामान बनाने वालों को लगभग १०,६०० टन इस्पात दिया गथा था।

(ख) भौर (ग) जी, नहीं।